

The findings of the Concurrent Evaluation on Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) have shown that there has been substantial increase in the number of mandays of employment generated under these programmes over the years.

National Rural Employment Guarantee Bill

£*117. SHRI MURLI DEORA:

SHRIMATI VANGA GEETHA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce National Rural Employment Guarantee Bill during the Winter Session;

(b) if so, the salient features of the draft Bill;

(c) the amount required for the implementation of this scheme; and

(d) whether States would also share the burden of this scheme and if so, the percentage thereof and whether the scheme would be applicable in those States too who are incapable of contributing?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) The proposal to enact a Central Legislation for the National Rural Employment Guarantee Act, which aims to enhance livelihood security to poor households in rural areas by providing atleast 100 days of guaranteed wage employment to every poor household whose adult members volunteer to do unskilled manual labour, is under consideration of the Government.

MR. CHAIRMAN: Since Question Nos. 101 and 117 are connected, they are clubbed together.

SHRI SANJAY RAUT: Sir, under the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana, the Centre allots foodgrains to the States for free distribution to the labourers under the Food-for-Work-Programme. How much quantity of foodgrains had been allotted by the Centre to the States so far; and how much quantity of foodgrains have been lifted by the States, particularly, the State of Maharashtra?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हम सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 50 लाख टन अनाज देश भर के सभी राज्यों को देते हैं। फूड फॉर वर्क जो नया प्रोग्राम अब शुरू हुआ है, उसमें दो हजार बीस करोड़ नगद और 20 लाख टन अनाज अभी जो देश के चुने हुए 150 जिलों में, जो पिछड़े हुये हैं, जहां दलितों और आदिवासियों की संख्या अधिक है, जो इस क्राइटेरिया के आधार पर चुने गये हैं, उन जिलों में लागू किया गया है। अभी 14 नवम्बर को पंडित जवाहर लाल

£Question Nos. 101 and 117 were taken together.

नेहरु की जयन्ती के दिन प्रधान मंत्री जी ने आन्ध्र प्रदेश से इनागरेट किया और देशभर में इसे लागू कर दिया गया है।

श्री संजय राउत: सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र के बारे में पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र के कितने जिलों में फूड ग्रेन्स आपने दिया है? महाराष्ट्र की जो मांग थी क्या वह पूरी हो गयी है या नहीं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, महाराष्ट्र के 11 जिलों में फूड फॉर वर्क योजना लागू की गई है। एस०जी०आर०वाई० में जितना अनाज हम पहले देते थे, उसी के आधार पर उनको अनाज का आवंटन हुआ है।

SHRI SANJAY RAUT: Sir, in the year 2003-04, as many as 4,686 small-scale industries units, related to the rural employment in Maharashtra, had downed their shutters. As a result, about 30,000 rural labourers lost their jobs. What steps are being taken by the Central Government to rehabilitate them; and what is being done by the Central Government to increase job opportunities for rural labourers?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, जो गांव में बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए वेजिज एम्प्लायमेंट और सेल्फ एम्प्लायमेंट दो तरह की योजनाएं चल रही हैं। जो हम एस०जी०आर०वाई० चला रहे हैं, उसमें 80 करोड़ मैनडेज पैदा होते हैं। अब महाराष्ट्र में तो और एम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट लागू है, वहां की राज्य सरकार ने इस कानून को लागू कर रखा है। इसीलिए जो ग्रामीण बेरोजगार हैं, उनको रोजगार देने के लिए यह सब काम किया जा रहा है। सेल्फ हैल्प ग्रुप की सहायता से भी स्वरोजगार देने की व्यवस्था है जिससे सेल्फ प्रोडक्टिव एम्प्लायमेंट लोगों को मिले और गांव से बेकारी दूर हो और तदनुसार गरीबी भी दूर हो जाये।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, the National Common Minimum Programme of the UPA Government has promised 100 days of legal employment. But since seven months have already gone by, I would like to know when it will come up. Will the hon. Minister enlighten us as to what is meant by 'legal employment' and how he is going to implement it?

Sir, part (b) of my question is: What is the total amount required for implementation of this massive programme and how does the Government propose to get the funds?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: फूड फॉर वर्क कार्यक्रम डेढ़ सौ जिलों में लागू कर दिया गया है जो कि सब जगह कार्यान्वित हो रहा है।... (व्यवधान)... महोदय, यह इम्प्लॉयमेंट गारंटी वाला पूछ रही हैं। इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के संबंध में जो हमारा कमिटमेंट है, नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नम्बर एक का, इसी सत्र में हम लोग उसे इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। उस पर वित्त विभाग, योजना आयोग, विधि विशेषज्ञों से, अर्थशास्त्रियों से राय और सलाह की जा रही है और गहन छानबीन

करके जब वह विधेयक आएगा, तो माननीय सदस्य उसको देखकर प्रसन्न हो जाएंगी कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सबसे प्रथम ... (व्यवधान) ... इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट... (व्यवधान) ...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ... (व्यवधान) ... रोजगार गारंटी एक्ट के बारे में... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: पहले उनका प्रश्न है।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, the question is: From where are they going to get the amount?... (Interruptions) ...

SHRIMATI VANGA GEETHA: Mr. Chairman, Sir, my question is: (a) What is the total amount required, per annum, for implementation of this massive programme; (b) How does the Government propose to get the funds?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: वह विधेयक आ जाएगा उसमें वित्तीय भार कितना पड़ेगा, इस सबका हिसाब उस समय बता दिया जाएगा। अभी कैसे बता दिया जाए? सब हिसाब हम लोग जोड़ रहे हैं। ... (व्यवधान) ...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Sir, if the Minister does not know the total amount involved, how can he implement it?... (Interruptions) ... If the Minister does not know the total amount involved, how can he implement it?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: देश भर में कितने बेरोजगार हैं, इस संबंध में अभी बता देते हैं। माननीय सदस्यों की बड़ी रुचि है। पहला तो यह कि कितने परिवारों के लोग उसमें काम पाना चाहेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होगा। महोदय, गरीबी रेखा से नीचे लगभग 6 करोड़ परिवार हैं। 6 करोड़ के हिसाब से यदि मान लिया जाए और प्रत्येक परिवार का एक आदमी माना जाए तो 6 करोड़ लोगों को हमें रोजगार देना पड़ेगा। सौ दिन साल भर में रोजगार देना है तो 6 करोड़ गुणा 100 दिन, उतना मैनडेज़ चाहिए और उतने मैनडेज़ के लिए हमें मैटीरियल कम्पोंनेंट भी चाहिए और मजदूरी भी चाहिए। 60 रुपए मजदूरी और 40 रुपए यदि मैटीरियल की कॉस्ट रखी जाए तो सौ रुपए एक मैनडेज़ में खर्चा है। इस प्रकार 6 करोड़ गुणा सौ, गुणा सौ उतना रुपया हमें चाहिए।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, there is an alarming situation as far as unemployment in rural areas is concerned. As per the answer given by the Minister, the number of unemployed persons in the country is 19.49 million. I would like to have a specific answer from the hon. Minister regarding the National Rural employment Guarantee Bill because the Congress Party manifesto as well as the CMP very specifically envisages that 100 days of employment will be given; that is an assurance. I would like to know from the hon. Minister when it will be introduced and whether it will be introduced during the Winter Session itself. I would also like to

know from the hon. Minister whether there is any move to dilute the proposal or the assurance which is being given to the public in the CMP as well as in the Congress Party manifesto.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, वह तो बता दिया है कि इम्प्लायमेंट गारंटी...

श्री सभापति: उनको समझ नहीं आ रहा है, क्या किया जाए?... (व्यवधान)... आपने तो बता दिया है पर उनको समझ नहीं आ रहा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: वह वही प्रश्न फिर से पूछ रहे हैं। इसी सत्र में मैं ला रहा हूँ। इम्प्लायमेंट गारंटी एक्ट का ड्राफ्ट तैयार है। इसी सत्र में मैं इंट्रोड्यूस करूँगा। माननीय सदस्यों की यदि कृपा होगी तो वह पारित भी होगा और लागू भी होगा।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा बहुत सीधा सवाल है। गरीब और आम आदमी की चर्चा आपके मुखारबिंद से हमेशा सुनाई देती है। जो बाकी माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है, उसके अंदर एक चिंता छुपी हुई है और वह चिंता मैं आपके समक्ष बहुत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिंता यह है कि अभी आपने पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि आपका बिल तैयार है, आप उसे इसी सत्र में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आपकी तैयारी यह है तो यह भी प्रश्न उठेगा कि उसके लिए वित्तीय व्यवस्था आपने कर ली है। मैंने आपकी प्रतिक्रियाओं को टेलीविज़न पर देखा है, जहाँ पर स्वयं आप इसके वित्तीय पक्ष के बारे में अनिश्चित दिखाई पड़े। अतः आज सदन में मेरा आपसे बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि इस पूरे इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम में कितना पैसा लगेगा? दूसरा, उस पैसे की क्या व्यवस्था हुई है और इस पैसे की व्यवस्था में राज्य सरकार की क्या भूमिका है।

श्री सभापति: जिस समय ये बिल पेश करेंगे, उस समय बता देंगे।... (व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं सब बता देता हूँ।... (व्यवधान)... मैं समझा देता हूँ। समझ लीजिए सब... (व्यवधान)...

श्री सभापति: सुनिए... सुनिए आप। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।... (व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आपने सवाल उठाया है, कृपा करके बैठकर सुनिए। महोदय, यह गरीब का, बेरोज़गार का विषय है। इस पर जैसे ही खर्च का विचार हम लोग करने लगते हैं, तो देश में कुछ लोग हैं जो एंटी-रूरल और एंटी-पूरर हैं, वे छटपटाने लगते हैं।... (व्यवधान)... यह गरीब आदमी का, बेरोज़गार का... (व्यवधान)... तो इसीलिए इम्प्लायमेंट ऐश्योरेंस स्कीम एक बार देश में लागू हुई थी, उसमें 3 करोड़ 84 लाख मज़दूरों ने अपना नाम दर्ज कराया था। उसको यदि हम आधार मानते हैं तो उस समय जो मज़दूर काम चाह रहे थे, उनकी संख्या 3 करोड़ 84 लाख थी। चलिए, मैं 4 करोड़ मान लेता हूँ कि कुछ ज्यादा समय लगा है, तो यदि 4 करोड़ मज़दूर काम लेना चाहेंगे

तो 40 हजार करोड़ लगेंगे, यदि 5 करोड़ मज़दूर काम चाहेंगे तो 50 हजार करोड़ लगेंगे, यदि 6 करोड़ मज़दूर होंगे तो 60 हजार करोड़ लगेंगे और यदि उसमें पांच साल लगा देंगे तो उसका हिसाब समझा जा सकता है। इसलिए सभी तथ्यों पर गहन छानबीन की जा रही है क्योंकि यह गरीब का विषय है और बेरोज़गारी दूर करना हमारा कमिटमेंट है। इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लागू करने में किसी प्रतिगामी शक्ति का जोर नहीं चलेगा, यह गरीब का कार्यक्रम है और लागू होकर रहेगा।... (व्यवधान)

श्री एस.एस. अहलुवालिया: सर, ये किसलिए* रहे हैं।... (व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: सर, सदन में किसने कहा इनको* को? ये जवाब देंगे? क्या ये विधान सभा में बोल रहे हैं? यह क्या मजाक है?... (व्यवधान)...

श्री सभापति: श्रीमती सरला माहेश्वरी, पूछिए।... (व्यवधान)...

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: गरीबी और बेरोज़गारी इनके एजेंडे में है ही नहीं। "इंडिया शाइनिंग", "इंडिया शाइनिंग", अब होगा असली गरीब शाइनिंग, गांव शाइनिंग, रूरल शाइनिंग- अब होगा।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट... एक मिनट... बैठिए...बैठिए... एक मिनट बैठिए।... (व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, वह नई जगह इनको हजम नहीं हो रही है।... (व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: सर, आप मुझे इजाजत दीजिए।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप सब बैठ जाइए।... (व्यवधान).... मैं इजाजत नहीं दूंगा... मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप बैठ जाइए।...बैठिए, बैठिए... आप मेरा कहना मानोगे तो मैं परमिशन दूंगा। पहले बैठ जाइए...पहले बैठ जाइए।... (व्यवधान).... Please take your seats, please take your seats. माननीय सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट...आप बैठ जाइए, मैं ऐलाऊ नहीं करूंगा।... (व्यवधान)....एक मिनट...एक मिनट आप बैठिए।... (व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: मंत्री जी के* का कारण क्या है, यह समझ में नहीं आया।

श्री सभापति: क्वेश्चन का जवाब सुनने के पहले मंत्री जी को समझना आवश्यक है। बैठ जाइए...अब आप बैठ जाइए।... (व्यवधान)...

श्री संजय निरूपम: मंत्री जी को किस बात पर इतना क्रोध आ रहा है?

*Expunged as ordered by the Chair.

श्री सभापति: मंत्री जी ने यह कहा है, मोटे रूप से मंत्री जी का यह कहना है कि जितना रुपया इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में खर्च होगा, कितने लोगों को गारंटी देकर इंप्लॉयमेंट देना है, उनकी संख्या तय हो जाए, उसके असेसमेंट के आधार पर जितना पैसा होगा, उसकी गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी।... (व्यवधान)... मेरी सुनिए... मेरी सुनिए... (व्यवधान)... एक मिनट... आप बैठ जाइए, please take your seats. मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा... (व्यवधान)... आप बैठिए एक मिनट... मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह शब्द प्रयोग नहीं करें* यह बिल्कुल अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज है, मैं ऐलाऊ नहीं करूंगा। श्रीमती सरला माहेश्वरी, बोलिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: धन्यवाद सभापति महोदय।... (व्यवधान)... आप बैठिए ना।

श्री सभापति: संजय जी, आप बीच में मत खड़े होइए। यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

SHRI SANJAY NIRUPAM: It was shouting. (Interruptions)... It was clear-cut shouting. (Interruptions)

श्री सभापति: चाहे वह शाउटिंग भी हो, नहीं, नहीं, यह* शब्द अनपार्लियामेंटरी है। मैं बिल्कुल ऐलाऊ नहीं करूंगा।... (व्यवधान)... आप क्वेश्चन करने दीजिए ना। श्रीमती सरला माहेश्वरी, पूछिए।... (व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सवाल तो करने दीजिए, मुझे।... (व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: मैं उनके जवाब में थोड़ा सा सुधार चाहता हूं।... (व्यवधान)... वे गुस्से में एक बात कह गए... (व्यवधान)...

श्री सभापति: जवाब दे दीजिए।... (व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: वे गुस्से में कह गए कि बेरोजगारी हमारी कमिटमेंट है।... (व्यवधान)... आप रिकॉर्ड देख लीजिए।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: कह दिया तो कह दिया।... (व्यवधान)... बैठिए, बैठिए।... (व्यवधान)...

श्री एस.एस. अहलुवालिया: बेरोजगारी हमारा कमिटमेंट है, यह कह गए।... (व्यवधान)... उनको कहना चाहिए था कि बेरोजगारी दूर करना हमारा कमिटमेंट है।... (व्यवधान)... वे गुस्से में बोल रहे हैं।... (व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बैठिए। श्रीमती सरला माहेश्वरी।... (व्यवधान)... आप बैठिए।... (व्यवधान)... स्वराज जी, आप बैठिए।... (व्यवधान)... सरला जी आप बोलिए, बोलिए।

*Expunged as ordered by the Chair.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, मैं इस रोजगार के सवाल पर महिलाओं की तरफ से हस्तक्षेप करना चाहती हूँ। मुझे माननीय मंत्री जी के जोश-खरोश पर, उनकी सद्‌इच्छा पर पूरा विश्वास है और उस विश्वास...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप बोलिए, बोलिए।...(व्यवधान)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए महिला समाज की ओर से, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आप जो तथाकथित रोजगार गारंटी एक्ट लाने जा रहे हैं, उस एक्ट में क्या महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाया है? जहां तक आपके मंत्रालय का सवाल है, आपके मंत्रालय के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि योजना आयोग की इस अनुशंसा के बावजूद कि रोजगार सृजन की सभी परिकल्पनाओं में 40 फीसदी हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 20 प्रतिशत काम महिलाओं को दिया गया है।

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: तो क्या इस विधेयक में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाएंगे?

श्री सभापति: अच्छा, उनका जवाब सुन लीजिए। मंत्री जी, आप ऐसा ही जवाब दीजिए जैसा सवाल पूछा है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, बेरोजगार को रोजगार देने में, महिला या पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे बेरोजगार महिला हो, बेरोजगार पुरुष हो, उनको रोजगार देने का प्रबन्ध किया गया है। यह योजना एस.जी.एस.आर. है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, स्वरोजगार के द्वारा सेल्फ इम्प्लाइमेंट पाना है, उसमें 70 फीसदी महिलाओं को रोजगार देना है और उसमें प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है।

SHRI RAVULACHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the hon. Prime Minister had launched this new programme, 'National Food for Work Programme' in Andhra Pradesh last month. During the Government of Shri Chandrababu Naidu, this programme was implemented throughout the State. Now, it has been confined to eight districts, and, for that, the hon. Prime Minister came to launch the programme. I would like to know from the hon. Minister as to what was the criteria for the selection of those 150 districts, out of which eight districts have been selected from Andhra Pradesh. The districts, like Medak, Karim Nagar, Nizamabad, Srikakulam, Vizianagaram and

Visakhapatnam, where starvation deaths are there, have been omitted. As per the report, 2043 farmers have committed suicide in Andhra Pradesh, and 58 starvation deaths have been reported in the Medak district alone. But you have omitted that district. Also, Karim Nagar, where weavers are committing suicide, has not been included. So, what is the criteria for the selection of these 150 districts? And, when are you going to implement this programme? You say that it is a pilot programme. But you want to have your experiments under drought conditions. What experiment are you going to do? People are dying.

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, देशभर में जिन डेढ़ सौ जिलों का चयन किया गया है, वह एक क्राइटेरिया के आधार पर है। वह क्राइटेरिया यह है, (i) population of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the district; (ii) agricultural productivity and (iii) wages on employment. इन तीन क्राइटेरियाज के आधार पर योजना आयोग के परामर्श से जिस-जिस जिले का नाम आया, राज्यों में करीब उन्हीं डेढ़ सौ जिलों का चयन किया गया है। वह निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर है उसमें कोई चुन-बीच, मुंह-देखी या कोई फेवर नहीं हुआ है।

श्री सभापति: बिल्कुल। श्रीमती हेमा मालिनी।

SHRIMATI HEMA MALINI: Hon. Chairman, Sir, I would like to add a few points as a person living in Mumbai. I am concerned about the problem of unemployment in the rural areas of Maharashtra. There is a general exodus of unemployed youth from the villages coming into the Mumbai city in search of job. The city is already staggering with the explosion of population and the infrastructure is breaking down because of this. Unless the Rural Employment Programme is taken up on a war footing, the city of Mumbai will simply crumble under the strain. Will the Minister do something about Mumbai?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, यह बात सही है कि गांवों में बेरोजगार अधिक हैं, इसलिए रोजगार प्राप्त करने के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इसी कारण से वेजेज, एम्प्लोएमेंट में एस.जी.आर.वाई. द्वारा, फूड फोर वर्क द्वारा और आने वाले कानून के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जब गांवों के बेरोजगारों को गांवों में ही काम मिल जाएगा, तब गांवों से पलायन रुकेगा। इससे मुम्बई और अन्य बड़े शहरों पर जो दबाव पड़ रहा है, लोगों की भीड़ जुट रही है, वह भीड़ स्वतः घट जाएगी, क्योंकि जब उन्हें गांव में ही काम मिल जाएगा तब वे शहरों की तरफ नहीं जाएंगे। इससे मुम्बई भी सुरक्षित होगी। इसीलिए मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि

अगर शहरों को बचाना है तो गांवों में रोजगार पैदा करना पड़ेगा, गांव के लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी गांव का विकास होगा, गांव की समृद्धि होगी और हिन्दुस्तान नम्बर एक मुल्क बन जाएगा।

श्री शाहिद सिद्दिकी: सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि खास तौर पर हमारा जो उत्तरी भारत है, वहां के रूरल एरियाज उत्तर प्रदेश, बिहार आदि को बहुत समय से नजरअंदाज किया गया है। यहां पर रूरल एरियाज की हालत बेहतर बनाने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की जरूरत है। क्या आपने उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए कोई विशेष पैकेज तैयार किया है? क्या यहां की रूरल स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और यहां पर रोजगार लाने के लिए कोई काम हो रहा है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, अभी तक जो कार्यक्रम चलाए जाने वाले हैं या चलाए जा रहे हैं, वे बता दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा गया है कि रीजनल डिस्पैरिटी जो क्षेत्रगत विषमताएं हैं, उन विषमताओं को दूर करने के प्रयत्न करने का भी प्रावधान है। सभापति महोदय, इसके लिए एक बैकवर्ड स्टेट कमीशन बन रहा है इसमें जो पिछड़े राज्य या पिछड़े इलाके हैं, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने और विकास में आगे लाने के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे।

अर्जुन पुरस्कार हेतु चयन के मानदण्ड

*102. श्री पी० के० माहेश्वरी: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अर्जुन पुरस्कारों के लिए चयन के मानदंड क्या हैं;

(ख) प्रतिवर्ष अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा के बाद विख्यात खिलाड़ियों द्वारा पुरस्कारों के चयन में बरती जाने वाली पारदर्शिता के संबंध में व्यक्त किए गए संदेहों के बारे में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद पुरस्कार पाने से वंचित रह जाते हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री सुनील दत्त): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अर्जुन पुरस्कारों के योजना के अंतर्गत खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित पात्रता का मानदण्ड रखा गया है: